

मैरठ विकास प्राधिकरण

की

15वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 14-10-80

का

कार्यालय

मद संख्या - 1

पिछली बैठक दिनांक 17-4-80 की कार्यवाही की पुष्टि ।

गत बैठक दिनांक 17-4-80 की मद संख्या 2(1) में निम्न संशोधन किया गया :-

“आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं नगर विकास ने संयुक्त सचिव, आवास द्वारा बर्ष 1977 में किये गये निरीक्षण की ओर आकृषित किया किया, जिसमें लगभग 1000 पुराने वादों आदि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे, ” के स्थान पर “आयुक्त एवं सचिव आवास एवं नगर विकास ने बर्ष 1977 में संयुक्त सचिव, आवास द्वारा की गयी टिप्पणी की ओर ध्यान आकृषित किया, जिसमें शासन के स्तर पर लगभग 1000 रिवीजन के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे”, पढ़ा जाये ।

शेष कार्यवाही की सर्वसम्मति से यथावत पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

गत बैठक दिनांक 17-4-80 के प्रस्ताव संख्या - 4 के अन्तर्गत अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु गठित उपसमिति की संस्तुतियों पर विचार ।

उपसमिति की आख्या का अवलोकन किया गया एवं उपसमिति द्वारा कालोनियों के नियमन करने हेतु प्रस्तुत संस्तुतियों के सम्बन्ध में बिन्दुबार निम्न निर्णय लिये गये ।

3- (1) इस शर्त के साथ स्वीकृत कि इन कालोनियों में विकास शुल्क लिया जाये ।

(2) यथा प्रस्तावित स्वीकृत ।

(3) यथा प्रस्तावित स्वीकृत साथ ही महायोजना के संशोधन को तैयार करने के निर्देश दिये गये । जब तक संशोधन नहीं होता है, तो मानचित्र स्वीकृत न किये जायें ।

(4) यथा प्रस्तावित स्वीकृत ।

(5) सब - ग्रुप सभी अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष के समक्ष अन्ति निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी। उपाध्यक्ष प्राधिकरण को समय-समय पर लिये गये निर्णयों से अवगत करायेंगे।

(6) सहमत।

(7) यथा प्रस्तावित स्वीकृत।

(8) नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(9) विकास शुल्क की दरें निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत।

1-	सड़कें	रु० 15/- प्रति वर्गमीटर
2-	इंजेज	रु० 6/- प्रति वर्गमीटर
3-	बिजली	रु० 3/- प्रति वर्गमीटर
4-	वाटर सप्लाई	रु० 6/- प्रति वर्गमीटर
5-	सीवरेज	रु० 8/- प्रति वर्गमीटर
6-	पार्क	रु० 2/- प्रति वर्गमीटर
	योग	रु० 40/- प्रति वर्गमीटर

(10) यथा प्रस्तावित स्वीकृत।

(11) यथा प्रस्तावित स्वीकृत।

(12) यथा प्रस्तावित स्वीकृत।

(13) यथा प्रस्तावित स्वीकृत।

इसके अतिरिक्त अनाधिकृत कालोनियों को नियेमित करने के उपरान्त इनके विकास के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम (टाईम बाउन्ड शैड्यूल) तैयार करने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिया गया था कि रैगूलर की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विकास व्यय का ब्यौरा प्रतयेक कालौनी के अनुसार पृथक-पृथक रखा जाये एवं इन अनाधिकृत कालोनियों के विकास व्यय का पृथक मद बजट में रखा जाये।

मद संख्या - 3

गत बैठक दिनांक 17-4-80 के प्रस्ताव संख्या 2(1) के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या, विचारार्थ ।

दिनांक 17-4-80 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 2(1) के अन्तर्गत संशोधन किया गया एवं तदनुसार शासन स्तर पर निर्णीत 1000 रिवीजन केसों के सम्बन्ध में प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

अनाधिकृत कालोनियों को गिराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि वास्तविक डिमोलिशन की आख्या आगामी बैठक में पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत की जाये । फार्म “सी” नोटिस पर नियमानुसा अगामी कार्यवाही का अनुपालन एक माह की अवधि के उपरान्त सुनिश्चित किया जाये । अनाधिकृत कालोनियों को गिराने के सम्बन्ध में विवरण रखने हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये । यह भी निर्देश दिये गये कि अनाधिकृत कालोनियों को गिराने के सम्बन्ध में एक समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाये उसका परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।

4- मेरठ विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित योजनाओं की कठिनाईयों पर विचार ।

(क) मोहनपुरी में 28,162 वर्गगज भूमि 200 मध्यम आय वर्ग हेतु आवासीय भवन, 12 दूकानें, एक प्राईमरी स्कूल, पार्क व एक खेल के मैदान के सम्बन्ध में अध्यापित की जा रही भूमि के बारे में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश एवं इस भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में विचार ।

इस योजना के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 18-4-80 को पारित स्थगन आदेश को वेकेट कराने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही में शीघ्रता लायी जाये । इसके लिये किसी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने हेतु उच्च न्यायालय भेजा जाये । भू अधिग्रहण के सम्बन्ध में आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं नगर विकास द्वारा यह निर्देश दिये गये कि भू-

अधिग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव तभी तैयार किये जायें जबकि भूमि सीमारोपण कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये। योजना के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों से उपाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाये।

(ख) भूमिया पुल के निकट 11,343 वर्गगज भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु 60 आवासीय भवन, मध्यम आय वर्ग हेतु 18 भवन, 50 दूकानें, कार्यालय भवन एवं अन्य जनसुविधाओं के प्राविधान के सम्बन्ध में अध्यापित की गयी भूमि के मुआवजे के बारे में विचार।

वस्तुस्थिति से उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष महोदय को अन्तिम निर्णय हेतु अवगत कराया जाये और जिला भूमि अध्यापित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

(ग) मोदीपुरम आवासीय योजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि के बारे में कब्जा न प्राप्त होने के कारण एवं इस भूमि के अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत विवादास्पद होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार।

इस योजना की धारा - 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कराने की कार्यवाही में तत्परता लायी जाये, साथ ही तलपट मानचित्र, डिजाईन, विस्तृत आगणन आदि यथाशीघ्र तैयार करके उपाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की जाये। इस मामले में भी भूमि अध्यापित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

(घ) जवाहर क्वार्टर्स आवासीय योजना को व्यवसायिक योजना में परिवर्तित करने का प्रस्ताव, स्वीकृति हेतु।

इस योजना को आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का तलपट मानचित्र, डिजाईन, विस्तृत आगणन आदि तैयार करके उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृति प्राप्त की जाये।

अधिग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव तभी तैयार किये जायें जबकि भूमि सीमारोपण कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये। योजना के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों से उपाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाये।

(ख) भूमिया पुल के निकट 11,343 वर्गगज भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु 60 आवासीय भवन, मध्यम आय वर्ग हेतु 18 भवन, 50 दूकानें, कार्यालय भवन एवं अन्य जनसुविधाओं के प्राविधान के सम्बन्ध में अध्यापिति की गयी भूमि के मुआवजे के बारे में विचार।

वस्तुस्थिति से उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष महोदय को अन्तिम निर्णय हेतु अवगत कराया जाये और जिला भूमि अध्यापिति अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

(ग) मोदीपुरम आवासीय योजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि के बारे में कब्जा न प्राप्त होने के कारण एवं इस भूमि के अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत विवादास्पद होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार।

इस योजना की धारा - 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कराने की कार्यवाही में तत्परता लायी जाये, साथ ही तलपट मानचित्र, डिजाईन, विस्तृत आगणन आदि यथाशीघ्र तैयार करके उपाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की जाये। इस मामले में भी भूमि अध्यापिति अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

(घ) जवाहर क्वार्टर्स आवासीय योजना को व्यवसायिक योजना में परिवर्तित करने का प्रस्ताव, स्वीकृति हेतु।

इस योजना को आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का तलपट मानचित्र, डिजाईन, विस्तृत आगणन आदि तैयार करके उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृति प्राप्त की जाये।

(च) हापुड रोड आवासीय योजना के भूअर्जन सम्बन्धी सामने आ रही कठिनाईयों पर विचार।

इस योजना की धारा-6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कराने की कार्यवाही शासन स्तर पर शीघ्र करायी जाये तथा योजना के अन्तर्गत जो अनाधिकृत कालोनी विकसित हुई हैं, उस भूमि का अर्जन कर लिया जाये तथा इसका विकास दो भागों में किया जाये। प्रथम चरण में जितनी भूमि प्राप्त हो, उसका विकास किया जाये तथ द्वितीय चरण में शेष भाग को विकसित किया जाये।

(छ) उप शिक्षा निदेशक कार्यालय स्थित पुलिस लाईन्स के सामने आवासीय योजना के भूअर्जन सम्बन्धी सामने आ रही कठिनाईयों पर विचार।

धारा - 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कराने हेतु की जा रही कार्यवाही में तत्परता लायी जाये।

(ज) बेगमबाग आवासीय योजना के सम्बन्ध में प्रगति आख्या।

धारा- 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कराने हेतु की जा रही कार्यवाही में तत्परता लायी जाये।

(झ) नौचन्दी मैदान के पास आवासीय योजना के भूअर्जन सम्बन्धी आ रही कठिनाईयों पर विचार।

भू अधिग्रहण सम्बन्धी नोटिफिकेशन कराने हेतु की जा रही कार्यवाही में तत्परता लायी जाये। सचिव व आयुक्त, आवास एवं नगर विकास ने यह निर्देश दिये कि धारा - 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन सम्बन्धी भूअधिग्रहण प्रस्ताव के अन्तर्गत बिल्ट अप क्षेत्र नहीं आना चाहिए।

5- नगला बट्टू क्षेत्र में आवासीय योजना हेतु 133.75 एकड़ भूमि अर्जन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु ।

यथा प्रस्तावित स्वीकृत । किन्तु साथ ही यह निर्देश दिये गये कि किसी भी योजना के अन्तर्गत भूअधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व योजना के सम्बन्धमें आरम्भिक आगणन व इकनॉमिक बायबिल्टी तैयार कर ली जाये । इस मामले में आवास एवं विकास परिषद से प्रपत्र(परफोरमा) प्राप्त कर लिया जाये और प्रारम्भिक आगणन भी बनाकर रखा जाये ।

6- मेरठ हापुड रोड एवं मेरठ दिल्ली मार्ग के मध्यम आवासीय योजना हेतु 1281.5 एकड़ भूमि अर्जन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु ।

यथा प्रस्तावित स्वीकृत ।

7- सूरज कुण्ड क्षेत्र में लघु उद्योग एवं व्यवसायिक योजना हेतु 142.06 एकड़ भूमि अर्जन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु ।

इस योजना पर पुनः विचार किया जाये तथा आरम्भिक प्रोजैक्ट रिपोर्ट व इकनोमिक बायबिल्टी सहित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाये ।

8- नगला बट्टू क्षेत्र साकेत एवं परीक्षत गढ़ रोड के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र तथा मेरठ हापुड मार्ग व मेरठ दिल्ली मार्ग के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रस्तावों पर विचार ।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जोनल डवलपमेन्ट प्लान को स्वीकृत कराने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाये तथा शासन से अनुमति प्राप्त की जाये ।

9- मेरठ महायोजना के अनुसार मेरठ शहर के केन्द्रीयत बस स्टेन्ड को दिल्ली - बागपत लिंक मार्ग एवं मेरठ-हापुड एवं मेरठ-दिल्ली मार्गों पर स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु ।

प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया तथा अन्तर्क्षेत्रीय बस स्टेशन हेतु बागपत दिल्ली रोड के मध्य पर हापुड रोड पर आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहण की गयी ३२ एकड़ भूमि पर यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि ३० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम से विचार विमर्श करके उनकी माँग को देखते हुए योजना को अन्तिम रूप दिया जाये ।

10- मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय भवन की व्यवस्था का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु ।

नगर पालिका से प्राधिकरण कार्यालय भवन क्रय करने के सम्बन्ध में आफिसर इन्वार्ज, नगरपालिका द्वारा यह बताया गया कि नगर पालिका द्वारा प्राधिकरण को बाँछित कार्यालय भवन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा । अतः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-12-79 की मद संख्या - 12 में लिये गये निर्णय को वापिस लिया गया, साथ ही प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को कि प्राधिकरण अपने कार्यालय हेतु स्वयं भूमि अर्जित करे, स्वीकृत किया गया ।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित कार्यालय भवन नगर के केन्द्रीयत भाग में स्थित होना चाहिए । कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी स्थल का चयन एवं प्रोजैक्ट स्वीकृति हेतु अध्यक्ष को प्रस्तुत करे ।

11- पुलिस सेवायें प्राधिकरण को उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-7-79 की मद संख्या - 2(2) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को गिराने हेतु चार इन्सपैक्टर के पद का सृजन किया गया था, को निरस्त किया गया तथा प्रस्तावित अनाधिकृत

निर्माणों की रोकथाम के लिये एक दस्ता जिसमें एक हैड कान्स्टेबिल (वेतनमान रु० 230-350) तथा छः कान्स्टेबिल (वेतनमान रु० 200-320) स्तर के व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा स्वयं नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी । इन पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित व्यय की गणना करने के निर्देश दिये गये । इस दस्ते का गठन प्रारम्भ में एक बर्ष के लिये स्वीकृत किया गया ।

12- बर्ष 79-80 के परफारमेन्स बजट के निर्धारण एवं बर्ष 80-81 के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य पर विचार ।

परफारमेन्स बजट 1979-80 व भौतिक लक्ष्य 1980-81 को पुनः चैक करके प्रस्तुत किया जाये । भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित वित्ती विवरण भी प्रस्तुत किया जाये । आगामी पाँच बर्षों के लिये निर्माण कार्यों सम्बन्धी भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तैयार करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें । प्राधिकरण की बैलेन्स शीट भी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये । अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ने इस सम्बन्ध में चार्टेंड एकाउन्टेन्ट की सहायता प्राप्त करने के निर्देश भी दिये ।

13- प्राधिकरण में अधिकारियों/ कर्मचारियों के नये पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव, स्वीकृति हेतु ।

1- विधि अधिकारी (लॉ आफीसर) पूर्णकालिक-एक पद यथा प्रस्तावित स्वीकृत ।

2- अवर अभियन्ता - चार पद

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि एक डिवीजन में एक करोड लागत के निर्माण कार्य होने चाहिए एवं तदनुसार एक अधिशासी अभियन्ता, चार सहायक अभियन्ता एवं सोलह अवर अभियन्ता होने चाहिए । प्रस्तावित चार अवर अभियन्ताओं के पदों की स्वीकृति सैद्धान्तिक रूप से प्रदान की गयी किन्तु नियुक्ति के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए उपाध्यक्ष अपने स्तर पर नियुक्ति हेतु निर्णय लेंगे ।

3- ड्राफट्समैन - दो पद
दो ड्राफट्समैन के अस्थायी पदों की स्वीकृति (वेतनमान रु० 280-460)
में प्रदान की गयी ।

(4) आशुलिपिक - दो पद

यथा प्रस्तावित स्वीकृत ।

(5) लेखपाल - एक पद

यथा प्रस्तावित स्वीकृत

14- वर्तमान प्रशमन शुल्क की दरों में परिवर्तन का प्रस्ताव,
स्वीकृति हेतु ।

वर्तमान प्रशमन शुल्क की दरों में परिवर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में
प्रशमन शुल्क की तालिका पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया
कि समस्त वर्तमान प्रचलित दर को दुगना कर दिया जाये तथा न्यूनतम वाली
श्रेणी एवं भूमि की कीमत को हटा दिया जाये । यह प्रशमन शुल्क शासन से
स्वीकृत कराने के उपरान्त ही लागू किया जाये ।

15- महायोजना में प्राविधानित भूउपयोग को सजरा मानचित्रों
पर अंकित न किये जाने सम्बन्धी कठिनाईयों पर विचार ।

आगामी बैठक हेतु स्थगित ।

16- अन्य बिषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

ह०/-
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।